खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री सुरज आजाद बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री सुरज आजाद उपस्थित।

13.07.2026

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में
अवर सचिव श्री अमित रंजन उपस्थित

प्रस्तुत अपीलवाद श्री सुरज आजाद, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, निर्मली, सुपौल सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, कोचाधामन, किशनगंज के द्वारा बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03.2007 के प्रावधान के तहत दायर किया गया है। प्रश्नगत् पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के अन्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–5255/खाद्य, पटना दिनांक–22.11.2022 में पारित आदेश के विरूद्ध यह अपीलवाद दायर किया गया। उक्त आदेश में उन्हें दो (02) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। विलम्ब से अपीलवाद दायर करने का कारण उनको नियम की जानकारी नहीं होना बताया गया है। अपील अभ्यावेदन को दिनांक–11.09.2024 को प्राप्त करते हुए मामले की सुनवाई की गयी।

अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि वस्तुतः दिनांक–25.06.2016 को क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी–सह–आयुक्त के सचिव, कोसी प्रमंडल, सहरसा के जांच के आधार पर तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आरोप पत्र गठित किया गया एवं विभाग द्वारा विधिवत् अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। तदुपरांत मामले की सम्यक् सुनवाई करते हुए संचालन पदाधिकारी के द्वारा सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। परन्तु विभाग स्तर पर उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें निम्न आरोपों को प्रमाणित पाया गया :–

1. श्री रामावतार यादव एवं श्री मुरारी मोहन सेन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से अवैध रूप से राशि की वसूली।
2. विक्रेताओं के साथ मिलीभगत कर पंजियों का अद्यतन रूप से संधारित नहीं रखना।

प्रथम आरोप जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री रामावतार यादव एवं श्री मुरारी मोहन सेन से मोटी रकम वसूल किये जाने से संबंधित है। दोनों विक्रेताओं द्वारा लिखित रूप में उक्त शिकायत अपने हस्ताक्षर के साथ निरीक्षी पदाधिकारी को समर्पित किया गया था। इस आरोप के खंडन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाद में दोनों विक्रेताओं ने कार्यपालक दंडाधिकारी समक्ष दिये गये शपथ पत्र के द्वारा यह बताया कि उन्हें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से कोई शिकायत नहीं थी। आरोपित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके विरूद्ध लगाया गया आरोप मिथ्या एवं जांच पदाधिकारी की नाराजगी/दुर्भावना का प्रतीक है।

उक्त बिन्दु पर विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि जांच पदाधिकारी समक्ष जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के लिखित शिकायत में अंकित हस्ताक्षरों एवं शपथ पत्र में अंकित हस्ताक्षरों में समानता है। ऐसी स्थिति में विक्रेताओं द्वारा बिना किसी स्पष्टीकरण के शपथ पत्र में यह अंकित करना कि उनके द्वारा उनसे किसी प्रकार का रकम अथवा लाभ की मांग नहीं की गयी, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। दूसरी ओर ज०वि०प्र० विक्रेताओं द्वारा लिखित शिकायत निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किया गया है, जबकि अपने शपथ–पत्र में उनके द्वारा गलत तथ्य अंकित किया गया है कि उनके द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप से कोई बयान नहीं दिया गया था। बिना किसी स्पष्टीकरण के निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष समर्पित लिखित शिकायत से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का विमुख होना दबाव/पदीय शक्ति के दुरूपयोग की संभावना की स्थिति से नकारा नहीं जा सकता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष समर्पित लिखित शिकायत एवं तदोपरान्त शिकायतकर्त्ता जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा इससे विमुख होने की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। फलतः प्रतिवेदित आरोप सं०–प्रथम विभागीय समीक्षा में प्रमाणित माना गया है।

दूसरा आरोप पंजियों को अद्यतन संधारित नहीं करने से संबंधित है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त आरोप के खंडन के संबंध में बताया कि मूल्य एवं भंडार पट्ट पर प्रायः विक्रेता द्वारा दुकान पर अति भीड़ होने या बीच की तिथि में लाभुकों के नहीं आने अथवा भंडार समाप्त हो जाने के कारण भंडार पट्ट के संधारण में त्रुटि कर देते हैं। भंडार पट्ट गोदाम के बाहर लगे होने से भी कभी कभार पेंसिल से लिखे भंडार पट्ट अति भीड़ के कारण मिट जाते हैं। इसी प्रकार राशन कार्ड में प्राप्तकर्ता के अंगूठे की जगह कम होने के कारण कभी–कभी प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर विक्रेता नहीं करवा पाते हैं, लेकिन कम लाभुक रहने पर हस्ताक्षर कार्ड पर करवा दिया जाता है।

उपर्युक्त खंडन को विभाग द्वारा समीक्षोपरांत इस आधार स्वीकार योग्य नहीं पाया कि ज०वि०प्र० दुकानों के मूल्य एवं भंडार पट्ट का अद्यतन किया जाना एक अनिवार्य एवं नियमित प्रक्रिया है। इसी तरह लाभुकों से हस्ताक्षर करवाना/अंगूठे का निशान लेना भी अनिवार्य प्रक्रिया है तथा एक निरीक्षी पदाधिकारी के रूप में उनका यह प्राथमिक कर्तव्य है कि सम्यक् रूप से उक्त त्रुटियों का निराकरण कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी जाय। ऐसी स्थिति में अति भीड़ का बहाना बनाकर पदाधिकारी अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते हैं।

उक्त समीक्षा के उपरांत विभाग द्वारा असंचायत्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया है। उक्त दंड के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा सुनवाई में मौखिक एवं लिखित रूप में बताया गया कि :–

1. लगाया गया आरोप इस तथ्य पर आधारित है कि निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष विक्रेताओं द्वारा लिखित शिकायत किया गया था।
2. जन वितरण प्रणाली की दुकानें बिहार लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 द्वारा नियंत्रित/विनियमित होती है।
3. वर्णित आदेश की कंडिका सं0–20 में निरीक्षी पदाधिकारी के पदनाम अंकित है, जिसमें क्षेत्रीय पदाधिकारी–सह–आयुक्त के सचिव कहीं भी वर्णित नहीं है। इस आदेश की कंडिका सं0–31 में तलाशी एवं अभिग्रहण हेतु नामित पदाधिकारी के पदनाम की सूची है, जिसमें भी क्षेत्रीय पदाधिकारी–सह–आयुक्त के सचिव का पद वर्णित नहीं है। क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी को

निरीक्षी पदाधिकारी की शक्ति आदेश में प्रदत्त नहीं है। अतः वे निरीक्षी पदाधिकारी ही नहीं हैं।

4. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के निरीक्षण पंजी पर उनकी निरीक्षण टिप्पणी अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें भी यह जानकारी नहीं थी कि वे इनके लिये प्राधिकृत है, और उनकी मंशा को भी दर्शाता है।

5. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा शपथ–पत्र में स्पष्ट अंकित हैं कि जांच पदाधिकारी ने अपनी डायरी पर नाम, अनुज्ञप्ति, गाँव का नाम आदि लिखकर उनसे उसके नीचे हस्ताक्षर करवाया था।

6. अपीलार्थी द्वारा कभी भी विक्रेता के हस्ताक्षर उक्त डायरी पर होने से इंकार नहीं किया गया।

7. शपथ–पत्र में विक्रेताओं का स्पष्ट कथन है कि किसी भी प्रकार के लाभ/रकम की मांग उनसे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नहीं करते हैं।

8. जब विक्रेता द्वारा यह बयान नहीं दिया गया था, तो उनसे स्पष्टीकरण किसी बिन्दु पर मांगा जा सकता है।

9. अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली द्वारा जिलाधिकारी, सुपौल को जांचोपरांत दिये गये मंतव्य में स्पष्ट रूप से अरोपी पदाधिकारी (अपीलार्थी) पर लगाये गये आरोप को खंडित किया गया है।

10. उपस्थापन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कभी भी उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित नहीं किया गया।

11. संचालन पदाधिकारी द्वारा भी पूर्ण जांच–पड़ताल के बाद आरोप को प्रमाणित नहीं पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

12. विक्रेताओं को अगर उनसे शिकायत रहती तो स्थानीय/जिला स्तर के पदाधिकारी को करते, अथवा पूर्ण जांच के समय अनुमंडल पदाधिकारी से करते, न कि आये जांच पदाधिकारी से।

13. विक्रेता द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष शपथ–पत्र लिया गया जहां वे बिना किसी दबाव के अपनी बात कहने हेतु स्वतन्त्र थे।

आरोप पत्रों में संलग्न साक्ष्य, संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन, विभागीय दण्डादेश में दिये गये तर्क एवं सुनवाई के तारीख पर अपीलार्थी द्वारा दिया गया लिखित एवं मौखिक बयान की समीक्षा की गयी। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा पूर्व में जांच पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बयान एवं बाद में शपथ–पत्र में अंकित कथन संदेह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पंजियों का ठीक ढंग से संधारित नहीं करना संतोषजनक अनुश्रवण का अभाव प्रदर्शित करता है। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा यह बताया जाना कि नियमानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 के कंडिका 20 जिसमें निरीक्षण के लिए प्राधिकृत पदाधिकारियों का पदनाम है, में क्षेत्रीय पदाधिकारी–सह–आयुक्त के सचिव का पदनाम वर्णित नहीं है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दु है। जिलाधिकारी द्वारा गठित आरोप पत्र का आधार वही जांच प्रतिवेदन है। इसके अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में अपीलार्थी पदाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

फलतः विभागीय आदेश ज्ञापांक–5255 खाद्य, पटना/दिनांक–22.11.2022 द्वारा दो (02) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को सम्परिवर्तित

करते हुए (Set aside) करते हुए चेतवानी का दण्ड दिया जाता है तथा भविष्य में सचेष्ट रहने का हिदायत दी जाती है।

तदोपरांत वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ह0/–
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(सुपौल)–05/2017– 3997 खाद्य, पटना/दिनांक– 17/07/2026

प्रतिलिपि–

1. जिला पदाधिकारी, सुपौल एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली, सुपौल एवं किशनगंज सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री सुरज आजाद (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–23/2024), आपूर्ति निरीक्षक, कोचाधामन, किशनगंज, E-Mail ID: s.azad.mydesire@gmail.com, Mobile No. 7765858128 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(सुपौल)–05/2017– 3997 खाद्य, पटना/दिनांक– 17/07/2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।